JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) –U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No: 0291-2742232 : Fax No: 0291-5106031
Email:caobrju@gmail.com Web site: energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl

No. F.1 ( )/Jd.VVNL /Ju. /CAO (B&R)/AO (Control)/D.: 30 Dt. 7/4/22

ORDER 03

Sub:- Regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.

In exercise of the powers conferred vide order no.372 D 1521 dated 18.01.12 the Managing Director, JdVVNL is pleased to adopt the order issued by the Finance Department, GoR vide No. F.6(2) FD(Rules)/2020 Part dated 24.11.2021 (copy enclosed) regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.

By Order,

(Dr. S.K.Goyal)
Chief Controller of Accounts

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary (Admn.), JDVVNL. Jodhpur.
2. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
3. The Chief Engineer( ), JdVVNL,................
4. The Addl .Chief Engineer ( ), JdVVNL,...............
5. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL, ...
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
7. The Dy. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur/Jalore/Bikaner.
8. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,......
9. The Superintending Engineer (IT), Jodhpur Discom, Jodhpur for uploading the order on Jodhpur Discom's site.
10. The TA to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur/Jaipur.
11. The Joint Director Personnel, JdVVNL, Jodhpur.
12. The Sr. Accounts Officer/Accounts Officer ( ), JdVVNL,.......
13. The Public Relation Officer, JdVVNL, Jodhpur.
14. The Dy. Director ( ), JdVVNL,...
15. The Executive Engineer ( ), JdVVNL,.............
16. The Personnel Officer ( ), JdVVNL,..........
17. The TA/PS to Director (Technical/Finance), JdVVNL, Jodhpur.

Accounts Officer (Control)
Jodhpur Discom, Jodhpur

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(2)वित्त(नियम)/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 24 NOV 2021

आदेश

विषयः वित्त विभाग के Clarification क्रमांक प.6(2)वित्त/नियम/2020 पार्ट–I दिनांक 21–10–2020 के संदर्भ से कोविड–19 के उपचार पर व्यय राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जारी स्पष्टीकरण दिनांक 21–10–2020 की निरन्तरता में कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 5–11–2020 द्वारा चिकित्सा व्यय राशि के पुनर्भरण के संदर्भ से यह मार्गदर्शन दिया गया था कि *"राजस्थान सिविल (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7 सपठित अपेन्डिक्स IX एवं XI सुस्पष्ट है, जिसके अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय में कोविड–19 का उपचार कराने पर CGHS की दरों का 80% या वास्तविक राशि जो कम हो, पुनर्भरण योग्य है। कोविड–19 के उपचार हेतु CGHS के OM दिनांक 10–7–2020 एवं 20–7–2020 के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20–6–2020, 03–09–2020 एवं 14–09–2020 द्वारा निर्धारित पैकेज दरों की 80% राशि या वास्तविक राशि जो कम हो राजस्थान सिविल (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7 सपठित अपेन्डिक्स IX एवं XI के अनुसार देय है (क्योंकि इन दरों को CGHS द्वारा अपनी दरें मानना स्वीकार किया गया है)।"*

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 9–2–2021 द्वारा सूचित किया गया था कि *"चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) द्वारा दिनांक 03.09.2020 में कोविड–19 के उपचार हेतु जो Indicative Stay Period 10 दिवस की अधिकतम सीमा दर्शाई गई है, उसे पे–मैनेजर में 20 दिवस की अधिकतम सीमा का प्रावधान रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है।"*

वित्त विभाग को गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में कोविड–19 के उपचार कराने पर अनुमोदित चिकित्सालयों की भांति पुनर्भरण हेतु शिथिलन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में राज्य के भीतर और बाहर अन्तरंग रोगी के रूप में उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय राशि का पुनर्भरण अपेन्डिक्स IX एवं XIII के अनुसार देय होगा जिसके अनुसार 50% दवाइयों हेतु और अन्य मदों में निश्चित प्रतिशत पर ही पुनर्भरण निर्धारित है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16–7–2021 से राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के संशोधन की अधिसूचना के उपरान्त RGHS के अनुरूप पुनर्भरण देय है तथा दिनांक 1–7–2021 से RGHS के अन्तर्गत इन्डोर कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 11 में पुनर्भरण की सीमा निर्धारित होते हुए भी राज्य कर्मचारियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड–19 से संक्रमित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर कोविड–19 के संक्रमण को **विशिष्ट परिस्थिति** मानते हुए अनुमोदित चिकित्सालयों में कराये गये उपचार की भांति ही चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण वित्त विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 21–10–2020 एवं निदेशक, कोष एवं लेखा को उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 5–11–2020 एवं 9–2–2021 के अनुसार किया जायेगा।

यह शिथिलन एक बारीय होगा तथा दिनांक 30–6–2021 तक सिर्फ कोविड–19 के संक्रमण के कारण गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में कराये गये इन्डोर उपचार पर ही लागू होगा।

यह आदेश पेंशनरों पर भी लागू होगा और पेंशनर के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना में नियमानुसार परीक्षण उपरान्त किया जायेगा। पेंशनर के दावों का निस्तारण वित्त विभाग के आदेश कमांक : प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 30–9–2021 के अनुसार होगा।

जिन प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

24/11/21
(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 49 / 2021)

D:\WORD\Order_hindi.docx

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN) : U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VidyutBhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY)

RVPN F&R No.: 1464

No.: RVPN/AAO/F&R/F. 77(V) /D. 254 JAIPUR, Dated: 28/02/2022

ORDER

Subject: **Regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.**

In exercise of the powers conferred, vide order No. RVPN/ ADMO/ AS/ CC/ F&R/ D. 205 dated 01.12.2001, the Chairman and Managing Director, RVPN, is pleased to adopt the order issued by the Finance Department, GoR vide No. F.6(2) FD (Rules)/ 2020 Part dated 24.11.2021 (copy enclosed) regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.

By Order,

(Sourabh Bhatt)
Chief Accounts Officer (P&F)

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
2. The LAO, RVPN, Jaipur.
3. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
4. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts/Civil), RVPN, Jaipur.
5. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Additional Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
7. The Joint Director Corporate Affairs (cum Company Secretary), RVPN, Jaipur.
8. The, Chief Personnel Officer RVPN, Jaipur.

9. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
10. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN, Jaipur.
11. The RCAO, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
12. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.
13. The Joint Director Personnel, RVPN, Jaipur.
14. The Superintending Engineer ( ), RVPN, Jaipur.
15. The Incharge, Data Centre, RVPN, Chambal GSS, Hawa Sarak, Jaipur.
16. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
17. The Sr. Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
18. The Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
19. The PRO, RVPN, Jaipur.
20. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
21. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
22. Office Order/Master File.

(Arushi Kumawat)
Assistant Accounts Officer I (F&R)

Note: Orders are also available on the Nigam's website www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer-305004
Phone: 0145-2644516, Fax: 2644517, E-mail-aaoecr@gmail.com, Website-http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl

No. AVVNL/CAO(ER&IA)/AAO (Rule)/F. COVID-19 /OO/D. 6112 Dated 30-03-2022

ORDER

Sub:-Regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.

In exercise of the powers conferred vide order No.AVVNL/ CAO(R&C)/ AAO(Rule)/ F.15/OO/D.3416 Dated 05.12.2011 (AVVNL-Rule-527), the Managing Director, AVVNL is pleased to adopt the order issued by the Finance Department, GoR vide No. F. 6(2) FD(Rules)/ 2020 Part Jaipur, dated 24.11.2021 (copy enclosed) regarding reimbursement of medical expenditure incurred on treatment of COVID-19.

By Order,

(M.K. Jain)
Chief Accounts Officer (ER&IA)
AVVNL, Ajmer

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Chief Controller of Accounts, AVVNL, Ajmer.
2. The Zonal Chief Engineer (AZ / UZ / JJZ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/JJN.
3. The Add. Chief Engineer (HQ/MM/Project/), AVVNL, Ajmer.
4. The Chief Accounts Officer (AB&MM/EA-CASH), AVVNL, Ajmer.
5. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
7. The Joint Director Personnel, AVVNL, Ajmer.
8. The Zonal Sr. Accounts Officer (AZ / UZ / JJZ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/JJN.
9. The Sr. Accounts Officer (CPC/MM/ Comml.), AVVNL, Ajmer.
10. The Superintending Engineer (Civil /Plan /MM /O&M /M&P /TW /RGGVY/ADC /ACC /vigilance), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/ Nagaur/ Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar/ Dungarpur/ Pratapgarh
11. The Superintending Engineer (IT) AVVNL Ajmer, with the request to upload it at Nigam's website.
12. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
13. The Dy. Director of Personnel (HQ), AVVNL, Ajmer.
14. The Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ),AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu.
15. The Dy. Secretary (Pension), AVVNL, Ajmer
16. The Accounts Officer(O&M/A/cs/ EA/IA/ADC/ACC/REV./VIG./PEN.),AVVNL,Corporate office Ajmer/ Bhilwara/ Nagaur/ Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/ Rajsamand / Sikar /JJN/ Pratapgarh / Dungarpur.
17. The Asstt. Accounts Officer (Estt/OE&S) AVVNL, Ajmer.
18. The Personnel Officer (O&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/ Nagaur/ Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar/ Dungarpur/ Pratapgarh.
19. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
20. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
21. The P.A. To Director (Finance/Technical), AVVNL, Ajmer.

Asstt. Accounts Officer (Rule)

AVVNL - RULE-998

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(2)वित्त(नियम)/2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 24 NOV 2021

आदेश

विषयः वित्त विभाग के Clarification क्रमांक प.6(2)वित्त/नियम/2020 पार्ट-I दिनांक 21-10-2020 के संदर्भ से कोविड-19 के उपचार पर व्यय राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जारी स्पष्टीकरण दिनांक 21-10-2020 की निरन्तरता में कोष एव लेखा, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 5-11-2020 द्वारा चिकित्सा व्यय राशि के पुनर्भरण के संदर्भ से यह मार्गदर्शन दिया गया था कि *"राजस्थान सिविल (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7 सपठित अपेन्डिक्स IX एवं XI सुस्पष्ट है, जिसके अनुसार अनुमोदित चिकित्सालय में कोविड-19 का उपचार कराने पर CGHS की दरों का 80% या वास्तविक राशि जो कम हो, पुनर्भरण योग्य है। कोविड-19 के उपचार हेतु CGHS के OM दिनांक 10-7-2020 एवं 20-7-2020 के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20-6-2020, 03-09-2020 एवं 14-09-2020 द्वारा निर्धारित पैकेज दरों की 80% राशि या वास्तविक राशि जो कम हो राजस्थान सिविल (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7 सपठित अपेन्डिक्स IX एवं XI के अनुसार देय है (क्योंकि इन दरों को CGHS द्वारा अपनी दरें मानना स्वीकार किया गया है)।"*

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 9-2-2021 द्वारा सूचित किया गया था कि *"चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) द्वारा दिनांक 03.09.2020 में कोविड-19 के उपचार हेतु जो Indicative Stay Period 10 दिवस की अधिकतम सीमा दर्शाई गई है, उसे पे-मैनेजर में 20 दिवस की अधिकतम सीमा का प्रावधान रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है।"*

वित्त विभाग को गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में कोविड-19 के उपचार कराने पर अनुमोदित चिकित्सालयों की भांति पुनर्भरण हेतु शिथिलन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में राज्य के भीतर और बाहर अन्तरंग रोगी के रूप में उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय राशि का पुनर्भरण अपेन्डिक्स IX एवं XIII के अनुसार देय होगा जिसके अनुसार 50% दवाइयों हेतु और अन्य मदों में निश्चित प्रतिशत पर ही पुनर्भरण निर्धारित है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16-7-2021 से राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के संशोधन की अधिसूचना के उपरान्त RGHS के अनुरूप पुनर्भरण देय है तथा दिनांक 1-7-2021 से RGHS के अन्तर्गत इन्डोर कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 11 में पुनर्भरण की सीमा निर्धारित होते हुए भी राज्य कर्मचारियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 से संक्रमित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर कोविड-19 के संक्रमण को विशिष्ट परिस्थिति मानते हुए अनुमोदित चिकित्सालयों में कराये गये उपचार की भांति ही चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण वित्त विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 21-10-2020 एवं निदेशक, कोष एवं लेखा को उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 5-11-2020 एवं 9-2-2021 के अनुसार किया जायेगा।

D:\WORD\Order Hindi docx

AVVNL-Rule - 998

यह शिथिलन एक बारीय होगा तथा दिनांक 30–6–2021 तक सिर्फ कोविड–19 के संक्रमण के कारण गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में कराये गये इन्डोर उपचार पर ही लागू होगा।

यह आदेश पेंशनरों पर भी लागू होगा और पेंशनर के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना में नियमानुसार परीक्षण उपरान्त किया जायेगा। पेंशनर के दावों का निस्तारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 30–9–2021 के अनुसार होगा।

जिन प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

24/11/21

(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 49 /2021)

D:\WORD\Order_hindi.docx